

**कार्यालय उप आवासन आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-बीकानेर**

क्रमांक :- उ.आ.आ./रा.आ.म./बीकानेर/2015-16/658

दिनांक :-14.07.15


निविदा सूचना संख्या-01/2015-16

राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त बीकानेर की ओर से निम्नलिखित कार्यों की निविदाएँ ई-टेंडरिंग प्रक्रिया से दिनांक 10.8.15 से 24.8.15 साय 5.00 बजे तक डाउनलोड कर दिनांक 24.8.15 साय 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा 27.08.15 को प्रातः 11:00 बजे खोली जानी प्रस्तावित है। ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में राजस्थान आवासन मण्डल में उपयुक्त श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार भाग ले सकते हैं। ठेकेदारों को ई-टेंडरिंग प्रक्रिया से निविदा प्रस्तुत करते समय पंजीकरण की प्रति, बिक्रिकर विभाग का क्लियरेंस प्रमाण पत्र एवं केन्द्रीय उत्पाद विभाग में सर्विस टैक्स पंजीयन की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। राजस्थान आवासन मण्डल में पंजीकृत ठेकेदारों को अमानत बिड राशि का आधा प्रतिशत राशि एवं निविदा शुल्क राशि की डीडी उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त-बीकानेर, DY.Housing Commissioner, RHB Circle Bikaner के पक्ष में देय होगी। ई-टेंडरिंग शुल्क रु 1000/- का डीडी "एम.डी.आर.आई.एस.एल. जयपुर" के पक्ष में देय होगा। उक्त तीनों डीडी पंजीकरण की प्रति, बिक्री कर विभाग का क्लियरेंस प्रमाण पत्र, केन्द्रीय उत्पाद विभाग में सर्विस टैक्स पंजीयन की प्रति, अद्योहस्ताक्षकर्ता कार्यालय में तकनीकी बिड खुलने से पूर्व दिनांक 25.8.15 साय 5.00 बजे तक जमा करानी होगी।

आईटम संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाखों में)	अमानत राशि (लाखों में)	निविदा शुल्क (रु.मे)	कार्य की अवधि
1	मुक्ता प्रसाद नगर आवासीय योजना के सेक्टर 11 व 12 में निर्मित स्ववित्त पोषित योजना के आवासों में नाली एवम् नाले का निर्माण कार्य	30.57	61140.00	2000	6 माह
2	मुक्ता प्रसाद नगर आवासीय योजना में पुराने नालियों एवम् नालों के मरम्मत का कार्य	34.44	68880.00	2000	6 माह

निविदा खोलने की तिथि को यदि कोई राजकीय अवकाश हो तो निविदा आगामी कार्य दिवस को खोली जावेगी। सशर्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएगी।

निविदा से संबंधित समस्त विवरण www.rhbonline.rajasthan.gov.in व <https://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।


(एफ.यू.खाना)
उप आवासन आयुक्त
वृत्त-बीकानेर


कार्यालय उप आवासन आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-बीकानेर


क्रमांक :- उ.आ.आ./रा.आ.म./बीकानेर/2015-16/658

दिनांक :-14.07.15

निविदा की शर्तें:-

1. टेलीफोन, तार एवं फैंक्स से प्राप्त निविदा स्वीकार्य नहीं होंगी।
2. धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-बीकानेर के पक्ष में देय होगी।
3. धरोहर राशि मण्डल में योग्यता श्रेणी अनुसार पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा अमानत राशि की आधा प्रतिशत एवं अन्य ठेकेदारों पर दो प्रतिशत देय होगी।
4. निविदा आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण की छायाप्रति, वाणिज्य कर प्रमाण पत्र, सर्विस टेक्स, पंजीकृत की छायाप्रति संलग्न करना होगा। सर्विस टेक्स अधिनियम प्रावधानों के अनुसार दायित्व ठेकेदारों को वहन करना होगा।
5. राजस्थान आवासन मण्डल में भविष्य निधि एक्ट लागू है, जिसका समस्त दायित्व ठेकेदारों को वहन करना होगा।
6. राजस्थान आवासन मण्डल को एक या सभी निविदाएं रद्द करने का अधिकार होगा।
7. सशर्त निविदाएं स्वीकार नहीं होंगी।
8. यदि निविदा प्रपत्र बेचने एवं प्राप्त कर खोलने की अन्तिम तिथि को किसी कारणवश राजकीय अवकाश घोषित हो तो उक्त तिथियां इनके अग्रिम कार्य दिवस की दिनांक को होगी।
9. निविदा प्रपत्र उन्हीं संवेदकों को जारी किये जायेंगे जिन्हें वर्णित कार्य का समुचित अनुभव हो तथा अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।
10. अन्य शर्तें निविदा प्रपत्र के अनुसार होगी।


महोदय निदेशक (जनसम्पर्क)
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर


उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल
खण्ड-प्रथम, बीकानेर।